

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

निविदा सूचना




माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक सं0 1388/इन्फा सैल इलाहाबाद दिनांकित 08.12.2015 के अनुपालन में जनपद न्यायालय मेरठ में दो जनरेटर 160 के0वी0ए0 ध्वनिरहित, 04 वाटर कूलर क्षमता 150 लीटर मय आर0ओ0 तथा 200 डेजर्ट कूलर के क्य एवं स्थापित करने के सम्बन्ध में अधिकृत/पंजीकृत डीलरों से सील बन्द टैन्डर आमन्त्रित किये जाते हैं।

टैन्डर में जनरेटर, वॉटर कूलर व डेजर्ट कूलर के सम्बन्ध में उसकी कम्पनी, मैक व मॉडल का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में सील बन्द टैन्डर दिनांक 04.01.2016 को अपरान्ह 04:00 बजे तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, स्थान—मेरठ को डाक/व्यक्तिगत रूप से प्रेषित/प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उक्त निविदा उसी दिन सायं 04:30 बजे क्य समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा को खोले जाने के समय फर्मा के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

उक्त सूचना/विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय मेरठ की वेबसाईट
www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय मेरठ की वेबसाईट
www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है।

दिनांक: 21.12.2015

 (शिवचन्द्र) सदस्य, क्य समिति, अपर जिला जज, न्यायालय सं0-15, मेरठ।	 (विनय कुमार द्विवेदी) सदस्य, क्य समिति विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी एक्ट), मेरठ	 (सुभाष चन्द्र) अध्यक्ष, क्य समिति अपर जिला जज, न्यायालय सं0-1, मेरठ।
---	---	--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :


1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, मेरठ।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी मेरठ।
3. नोटिस बोर्ड, कमीशनर, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
5. समाचारपत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6. कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माठ उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

निविदा की शर्तें


दिनांक 04-01-2016 को जनपद न्यायालय, मेरठ के लिये दो जनरेटर 160 के ०१०५० धनिरहित, 04 वाटर कूलर क्षमता 150 लीटर मय आर०ओ० तथा 200 डेजर्ट कूलर के क्य एवं स्थापित करने के सम्बन्ध में अधिकृत/पंजीकृत डीलरों/फर्मों द्वारा निम्न शर्तों को पूर्णतया पालन करना होगा।

1. उक्त निविदा सील बन्द लिफाफे में दिनांक 04.01.2016 को अपराह्न 04:00 बजे तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मेरठ में प्रेषित करनी होगी।
2. निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी, मॉडल नम्बर आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है।
3. निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
4. माल का क्य माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुदान के अनुसार ही किया जायेगा।
5. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
7. कोई भी फर्म का प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकता है।
8. निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई अन्य भी भुगतान जैसे भाड़ा, वस्तु को स्थापित करने हेतु अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
9. भुगतान सामान की आपूर्ति के पश्चात् ही किया जायेगा। विलम्ब होने पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क अथवा ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।
10. वस्तुओं को क्य करने की संख्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवंटित अनुदान पर निर्भर करती है जो घट-बढ़ सकती है।
11. सभी वस्तुओं की आपूर्ति माननीय उच्च न्यायालय से अनुदान प्राप्ति के पश्चात् ही ली जायेगी। शर्तों की प्रति सरसम्मान माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।


दिनांक: 21.12.2015


Shiva Chandra
(शिवचन्द्र)

सदस्य, क्य समिति,
अपर जिला जज,
न्यायालय सं0-15, मेरठ।


21/12/15
(शिवचन्द्र)

Vinay Kumar Dwivedi
(विनय कुमार द्विवेदी)
सदस्य, क्य समिति
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी एकट), मेरठ


Subhash Chandra
(सुभाष चन्द्र)
अध्यक्ष, क्य समिति
अपर जिला जज,
न्यायालय सं0-1, मेरठ।

Order

Seen. Approved.

District Judge,
Meerut.